अपील संख्या 442 / 18 हुक्म या कार्यवाही, मय इनिशियल्स जज अनवान दौलाराम बनाम राजस्थान सरकार वगैरा	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म को तामील में जारी हुए
दिनांक 14–6–2019 पक्षकारों के अधिवक्ता उपस्थित । उभयपक्ष के अधिवक्ताओं की बहस सुनी गई । वकील अपीलांट ने अपील मीमो मे वर्णित तथ्यो को दोहराते हुए अपनी बहस मे कथन किया कि राज्य सरकार के परिपत्र कमांक प.3 (2) राज–6 / 2003 पार्ट / 04 दिनांक 10–8–2016 तथा जिला कलेक्टर बाडमेर के पत्रांक प.12 ( )(1) राजस्व / 2016 / 7205–40 दिनांक 10–10–2016 के निर्देशों की पालना मे तहसीलदार गुडामालानी ने अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी गुडामालानी के समक्ष ग्राम आमलियाला पटवार मण्डल भेडाणा के खसरा नंबरान 339, 338 तथा 309 / 1 की कुल भूमि मे से रकबा कमशः 3.18 बीघा, 1.05 बीघा तथा 0.17 बीघा भूमि जो मौके पर रास्ते के उपयोग मे आना बताते हुए उक्त भूमि की किस्म मौके अनुसार गै.मु.रास्ता दर्ज करवाने हेतु प्रस्ताव प्रेषित किया, जिस पर अधीनस्थ न्यायालय ने पक्षकारान खातेदारो को सुने बिना राजस्व लोक अदालत केम्प भाकरपुरा मे पक्षकारान की गैर मौजुदगी मे तथा अपीलांट एवं रेस्पो0 संख्या 2 से 12 की सहमति प्राप्त किये बिना तथा रास्ते की आवश्यकता के संबंध मे कोई रिपोर्ट या प्रस्ताव लिये बिना उनकी खातेदारी की भूमि मे रास्ता घोषित करने के संबंध मे उनके प्रकरण संख्या 27 / 2017 अनवान सरकार बनाम बेसरा वगैरा मे एकतरफा अपीलाधीन निर्णय आदेश कमांक / राजस्व / 2016–17 / 149 दिनांक 20–6–17 पारित करते हुए उक्त प्रस्तावित भूमि मे गै.मु.रास्ता दर्ज करने के आदेश पारित कर दिये, जो विधिसम्मत नही होने से निरस्त करने का निवेदन किया । वकील अपीलांट ने यह भी कथन किया कि इस न्यायालय हाजा से भी तहसीलदार गुडामालानी से मौके की रिपोर्ट तलब की जाने पर तहसीलदार गुडामालानी के पत्र दिनांक 4–1–2019 के सलंग्न अपीलाधीन भूमि के संबंध मे मौका रिपोर्ट दिनांक 3–1–2019 प्राप्त हुई है, जिसमे प्रस्तावित रास्ते पर रास्ता बंद होना तथा आवागमन नही होंना तथा प्रस्तावित स्थल पर रास्ता चालू नही होने का स्पष्ट उल्लेख किया हुआ है । अंत मे वकील अपीलांट ने अपीलाधीन निर्णय निरस्त करने तथा प्रस्तावित भूमि पर वर्तमान मे रास्ते की आवश्यकता नही होने से राजस्व रेकर्ड मे पूर्व की स्थिति बहाल रखने का निवेदन किया । रेस्पो0 संख्या 2 से 12 की ओर से उपस्थित अधिवक्ता ने अपीलांट	

अधिवक्ता की बहस का समर्थन करते हुए कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने बिना मौका जांच करवाये तथा खातेदारान को सुने बिना एवं

अति० सम्भागीय आयुक्त जोधपुर

लगातार --- 2

रा०अपी संख्या 442/2018

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही, मय इनिशियन्स जज	नम्बर अहकाम हुक्म को मे जारी हु
	उनकी सहमति लिये बिना केवल तहसीलदार गुडामालानी के प्रस्ताव के आधार पर अपीलांट एवं रेस्पो0 संख्या 2 से 12 के खातेदारी की भूमि मे से गै.मु.रास्ता दर्ज करने का आदेश पारित कर दिया, जो विधिसम्मत नही होने से निरस्त करने तथा अपीलाधीन भूमि की पूर्व की स्थिति बहाल रखने का निवेदन किया । हमने उभयपक्ष के अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया तथा इस न्यायालय हाजा से तलब तहसीलदार गुडामालानी की रिपोर्ट का भी अवलोकन किया । तहसीलदार गुडामालानी के पत्र के सलंग्न प्राप्त फर्द मौका रिपोर्ट दिनांक 3–1–2019 अनुसार अपीलाधीन भूमि पर वर्तमान मे कोई रास्ता चालू नही है तथा प्रस्तावित रास्ते की भूमि पर कोई आवागमन चालू नही होने का उल्लेख किया है । अपीलांट एवं रेस्पो0 संख्या 2 से 12 के अधिवक्ताओं का यह भी कथन है कि प्रस्तावित भूमि मे से रास्ता घोषित करने से पूर्व उनको सुनवाई का कोई अवसर नही दिया गया है, ऐसे मे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा राजस्व आवेदन पत्र संख्या 27/2017 मे पारित अपीलाधीन निर्णय दिनांक 20–6–2017 समर्थन योग्य नही होने से उसे निरस्त किया जाकर प्रकरण पुनः अधीनस्थ न्यायालय–उपखण्ड अधिकारी गुडामालानी को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि प्रस्तावित अपीलाधीन भूमि के खातेदारान अपीलांट एवं रेस्पो0 संख्या 2 से 12 को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुए उनकी उपस्थिति मे मौका स्थल की पुनः जांच कराये तथा तदनुसार पुनःनये सिरे से विधिसम्मत निर्णय पारित करें । निर्णय आज खुले न्यायालय लिखाया जाकर शामिल पत्रावली किया गया । पत्रावली फैसलशुमार होकर नंबर से कम हो । अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड निर्णय की सत्यप्रति के साथ लोटाया जाये । 14.6.19 संभागीय आयुक्त जोधपुर	

सेवा में,